(ग) देश के कितने ऐसे मतदाताओं के प्रार्थनापतों पर संबंधित चुनाव अधि-कारियों ने मतदान के दिन ही विचार करके मतदान की स्वीकृति प्रदान की नथा कितने व्यक्तियों को इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई?

विधि श्रौर न्याय मंत्री (श्री श्रशोक क मार सेन): (क) ग्रौर (ख) निर्वाचन ग्रायोग ने मुचित किया है कि इस बात का सत्यापन करना श्रमसाध्य कार्य होगा कि 1980 की निर्वाचक नामावलियों में जो नाम दर्ज थे. उनमें से कितने नाम 1984 की निर्वाचक नामावलियों में दर्ज हए ग्रौर कितने छुट गए । ग्रायोग का विचार है कि इस कार्य को करने में शायद ही कोई फायदा होगा क्योंकि इसमे जितना ग्रिधिक परिश्रम किया जाएगा उसका उतना परिणाम प्राप्त नही होगा । विशेष रूप से इसके ऐसे कई कारण हो सकते है, जैसे मत्य, निर्वाचन-क्षेत्र का मामली तौर से निवासी न रह जाना, इत्यादि, जिनक परिणामस्वरूप पूर्वतर नामावलियों में दर्ज किए गए नाम 1984 की नामाज्ञ लियों में दर्जन हो पाए हों।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व स्रधिनियम, 1950 की धारा 23 की उपधारा (3) के ग्रधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन करने की अतिम तारीख के पश्चात ग्रधिनियम की धारा 22 के अधीन निर्वाचक नामावलियों मे कोई भी प्रविष्टि न तो संशोधित की जा सकती है, न ग्रन्यत रखी जा सकती है ग्रीर न निकाली जा सकती है। श्रीर न ही निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने के लिए निदेश दिया जा सकता है। ग्रतः निर्वाचन के दिन निर्वाचक नाम-वलियों में अपना नाम सम्मिलित करान के लिए किसी व्यक्ति के श्रावेदन करने का कोई प्रश्न ही नही उठता ग्रौर न उसका श्रावेदन ऐस प्रक्रम पर ग्रहण किया जा सकता है। ग्रतः ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम निर्वाचक नामावलियों में नही है. निर्वाचन-क्षेत्र में नामनिर्देशन करने की ग्रंतिम तारीख को मत डालने की श्रनज्ञा देने या किसी ऐसे ग्रावेदन को ग्रस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Reported cases of booths capturing and rigging in Lok Sabha Elections

## 80. SHRI SURESH KALMADI: SHRIMATI RODA MISTRY:

Will the Minister of LAW AND JUS-TICE be pleased to state:

- (a) how many instances of booths capturing and poll rigging were reported to the Election Commission in the recently concluded Lok Sabha Elections; and
- (b) what action is being taken in the a matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) The Election Commission has informed, that at the recently concluded general election to the Lok Sabha, reports were received from the Returning Officers of 53 parliamentary cies regarding the circumstances under which poll had to be adjourned in 8 polling stations and vitiated in 264 stations. The Commission ordered the completion of the adjourned poll under section 57 of the R.P. Act, 1951 and taking of fresh poll under section 58 of the Act, at the polling stations where the poll had been vitiated.

## Newsprint policy

- 81. SHRIMATI RODA MISTRY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:
- (a) whether Government are aware that their newsprint policy for 1984-85 increasing the use of indigenous newsprint by newspapers from 50 per cent to 65 per cent has caused difficulties for publishers because of high price of indigenous newsprint, quality of indigenous newsprint, quality of indigenous newsprint being poor, and there being difficulties in procuring the newsprint of appropriate sizes;
- (b) if so, whether Government propose to consider amending the policy suitably; and